

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 19 () 13 / कार्मिक-राज / प्रमुखसं / 6113-40 दिनांक:- 5/9/18.

निमित्त,

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (टी.आर.ई.ई.) राजस्थान, जयपुर / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त, राज.जयपुर।
2. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज.जयपुर / परियोजना निदेशक, आर.एफ.बी.पी.-II, जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर / जयपुर / उदयपुर / भरतपुर / जोधपुर / कोटा / बीकानेर।
4. मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा / भरतपुर।
5. मुख्य वन संरक्षक, तेन्दू पत्ता, जयपुर / विभागीय कार्य, जयपुर / आई.टी. जयपुर / ब्रनास नदी परि० जयपुर / आर.वी.पी.कोटा / अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, जयपुर / सिल्वीकल्चर, जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लान्ट बोर्ड, जयपुर।
7. सदस्य सचिव, राजस्थान बायोडायवर्सिटी बोर्ड, जयपुर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद चूरू / उदयपुर / अजमेर

विषय:- सहायक वन संरक्षक के पद पर वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति के संबंध में।


प्रसंग:- राज्यादेश क्रमांक प. 12(9)वन/2013 दिनांक 26.8.13

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक राज्यादेश द्वारा सहायक वन संरक्षक के पद पर वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नत सहायक वन संरक्षक को आदेश जारी होने की तिथि से 10 दिवस (दिनांक 5.9.13 तक) की अवधि में नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के निर्देश जारी किए गये हैं। उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर दिनांक 26.8.13 को ही अपलोड कर दिया गया है तथा प्रतिलिपि इस कार्यालय द्वारा भी आपको पृष्ठांकित की गई है।

अतः दिनांक 5.9.13 तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले अधिकारियों की सूची अविलंब इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार सूचना राज्य सरकार को प्रेषित की जा सके।

भवदीय,


(वीरेंद्र सिंह)

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन),
राजस्थान, जयपुर।